

अध्याय—1

हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता

अनुबंध – एक परिचय

अध्याय 1 – हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध – एक परिचय

1.1 भूमिका

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, भारत में उर्जा की मांग न केवल अत्यधिक है बल्कि इस मांग में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना एक व्यापक नीतिगत लक्ष्य है। हाईड्रोकार्बन रिजर्व्स का अन्वेषण और विकास इस लक्ष्य की प्राप्ति का मूल घटक है। परिणामतः वर्ष 1991 में भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने यह निर्णय लिया कि विदेशी एवं घरेलू निजी क्षेत्र कंपनियों को खोजे गये तेल एवं गैस क्षेत्रों और कुछ मामलों में नेशलन ऑयल कंपनियों (एन.ओ.सी.)—आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंशिक रूप से विकसित क्षेत्रों के विकास हेतु भागीदारी के लिये आमंत्रित किया जाये। वर्ष 1993 में जी.ओ.आई. ने अन्वेषित ब्लॉकों की बोली पूरे वर्ष करवाने की नीति आरंभ की और चार वर्ष बाद (1997) में जी.ओ.आई. ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) की उद्घोषणा की जिसके अंतर्गत एन.ओ.सी. निजी क्षेत्र कंपनियों के साथ अन्वेषण और उत्पादन (ई.एंड.पी.) लाइसेंस प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नामांकन आधार पर प्राप्त करने की बजाए बोली लगाने की विधि से कर सकते थे। उत्पादन सहभागिता अनुबंध (पी.एस.सी.) प्रदान करने की स्थिति विभिन्न वित्तीय प्रणालियों के अंतर्गत इस प्रकार है (फरवरी 2014) :

खोजे गये/उत्पादक क्षेत्र चक्र	– 29
पूर्व नेल्प अन्वेषण चक्र	– 28
नेल्प चक्र (I से IX)	– 249

1.1.1 अनुबंध एवं संचालन प्रणाली

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी.एन.जी.), हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच) और कॉन्ट्रैक्टर/ऑपरेटर, पी.एस.सी. में मुख्य दावेदार है। उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ चित्र-1 में दर्शाये गये हैं।

एम.ओ.पी.एन.जी. अन्य बातों के साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिये जिम्मेदार है जिसमें तेल क्षेत्रों का (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 का प्रबंधन भी शामिल है। एम.ओ.पी.एन.जी. को डी.जी.एच की सहायता करता है, जो अप्रैल 1993 में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्त्रोतों को पर्यावरण, सुरक्षा, तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोणों से पेट्रोलियम गतिविधियों के सही प्रबंधन को बढ़ावा देनें के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। पी.एस.सी. की शर्तों के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर से पेट्रोलियम संचालन करना अपेक्षित था और उसे सफलतापूर्वक वाणिज्यिक खोज, जिससे उत्पादन शुरू किया जा सके, के पश्चात् लागत और खर्चों की वसूली का हक था।

पी.एस.सी. विशिष्ट क्षेत्रों/ब्लॉकों के लिये पेट्रोलियम संचालनों, लागत वसूली, लाभ का विभाजन और अन्य दृष्टिकोणों के जी.ओ.आई. और कॉन्ट्रैक्टरों के मध्य होने वाले अनुबंधात्मक आधारों को मुहैया


करता है। अधिकतर पी. एस. सी. में कई अनुबंधित दल हैं, जिनका भागीदारी हित¹ (पी आई) में विभिन्न हिस्सेदारी है जिनमें से एक दल को (समान्यतः वह दल जोकि अधिकतम पी आई वाला होता है) "ऑपरेटर" नामित किया जाता है। ठेकदार के संघटकों को पैट्रोलियम संचालन को लागू करने हेतू अपने आप में ऑपरेटर— अनुबंध² में शामिल होना चाहिये, जोकि ऑपरेटर की जिम्मेदारियों को प्रस्तुत करे, ऑपरेटर कमेटी (ओ. सी)³ का गठन करे जिसमें कम्पनियों के सर्वसम्मत प्रतिनिधि हो, ओ.सी. के कार्यों को निश्चित करे, निर्णय लेने की प्रक्रिया, लागत में हिस्सेदारी आदि को निर्धारित करें।

खोजे गये क्षेत्रों, प्री नेल्प अन्वेषित ब्लाकों एवं नेल्प ब्लाकों और यहां तक कि विभिन्न नेल्प चक्रों (मानक पी. एस. सी. सहित जोकि प्रत्येक नेल्प चक्र में रेखांकित किये गये), की पी एस सी की अंश सूची में अत्यधिक अंतर है

¹ "भागीदारी हित" का अर्थ है प्रत्येक दल जोकि कॉन्ट्रैक्टर का गठन करता है, का अधिभागित हिस्सा जिसे उस दल की भागीदारी की प्रतिशतता को, अनुबंध के अंतर्गत, हक्क और बाध्यता को व्यक्त करता हो।

² पन्ना मुक्ता और तात्त्वी पी. एस. सी. में इसे "संयुक्त संचालक अनुबंध" (जे ओ ए) कहा गया।

³ पन्ना मुक्ता और तात्त्वी पी. एस. सी. में "संचालक बोर्ड" (ओ बी) कहा गया।



चित्र 1

1.1.2 वित्तीय मापदण्ड

पी.एस.सी. की मूल विषयस्थिता यह है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रतिफल की प्रतिशतता पर बोली लगाते हैं जोकि जी.ओ.आई. हाइड्रोकार्बन ब्लॉक से प्राप्त करती है। कॉन्ट्रैक्टर आंरम्बिक अन्वेषण को जोखिम का वहन करता है। यदि कोई हाइड्रोकार्बन की खोज नहीं होती है, या उसकी मात्रा बहुत कम हो, उससे उपर्जित राजस्व की लागत को पूरा करने में नाकाफ़ी हो, तो इस जोखिम का वहन कॉन्ट्रैक्टर का होता है।

तीन मूल विषय नेत्य की वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत हैं— लागत वसूली, पैट्रोलियम लाभ (पी.पी.) और निवेश गुणक (आई.एम.) जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1 : नेत्य की वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत मूल विषय

लागत वसूली	<p>कॉन्ट्रैक्टर लागत वसूली कारक के लिये बोली लगाता है— अर्थात् राजस्व की प्रतिशतता जिसके लिये वह एक वर्ष के लिये अधिकृत है ताकि वह अन्वेषण, विकास और उत्पादन की लागत की वसूली कर सके। यह प्रतिशतता 100 प्रतिशत तक हो सकती है। लागत वसूली का कारक जितना उच्च होगा, कॉन्ट्रैक्टर की बोली में उतनी जल्दी लागत की वसूली की जायेगी, जबकि ऐसी स्थिति में, उसका वित्तीय पैकेज, बोली मूल्यांकन की तुलना में आकर्षक नहीं होगा।</p> <p>वार्षिक राजस्व से हुई लागत वसूली की राशि को पैट्रोलियम लागत (सी.पी.) कहा जाता है।</p>
पैट्रोलियम लाभ	<p>राजस्व में से लागत वसूली (सी.पी.) की कठौती के पश्चात, परिणामी पी.पी. जी.ओ.आई. और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में विभाजित किया जाता है। पी.पी. का विभाजन, जो पूर्व वर्ष के पूर्व-कर निवेश गुणक (आई.एम.) से सम्बद्ध होता है, बोली लागने का मापदण्ड है और वित्तीय पैकेज के हिस्से के तौर पर मूल्यांकित किया जाता है।</p>
निवेश गुणक	<p>पूर्व-कर आई.एम., संचित निबल नकद आय⁴ का अन्वेषण और विकास की संचित लागत में अनुपात है। जितना आई.एम. कम होगा उतनी परियोजना की पूँजी अधिक होगी। अपनी बोली के हिस्से के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को विभिन्न आई.एम. स्लैबों पर जी.ओ.आई. की हिस्सेदारी को स्पष्ट करना होता है, जैसे 1.5 से कम, 1.5 से 2.0 से कम तक इत्यादि। समान्यतः कॉन्ट्रैक्टर जी.ओ.आई. के निम्न हिस्सेदारी के लिये निम्न आई.एम. स्लैब की बोली लगाता है और जी.ओ.आई. की उच्च हिस्सेदारी के लिए 3.5 और अधिक आई.एम. {अर्थात् जहां पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) की तुलना में निबल नकद आय अधिक है} की बोली लगाता है। इसके अतिरिक्त आंरम्बिक वर्षों में पूँजी व्यय सामान्यतः उच्च होगा और समय के साथ इसमें कमी होगी, आई.एम. में भी समय के साथ वर्ष दर वर्ष वृद्धि की आशा की जाती है।</p>

⁴ निबल नकद आय— लागत पैट्रोलियम +कॉन्ट्रैक्टर के लाभ पैट्रोलियम का हिस्सा (पिछले वर्ष के आई.एम पर आधारित)+आकस्मिक आय उत्पादन लागत और रायलटी

1.2 लेखापरीक्षा की पृष्ठभूमि

एम ओ पी एन जी के अनुरोध (नवंबर 2007) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने चार ब्लॉकों (जोकि इस प्रकार है के जी- डी डब्ल्यू एन -98/3, पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती, और आर.जे.ओ.एन. 90/1) का वर्ष 2008-11⁵ में पी.एस.सी. की विशिष्ट लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष (एफ वाई) 2006-07 से 2007-2008 से संबंधित थी। लेखापरीक्षा के परिणाम वर्ष 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या-19 हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंधों की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाशित किये गये और इन्हें संसद के समक्ष सितम्बर 2011 में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन फरवरी 2014 में लोक लेखा समिति के पास जाँचाधीन था।

एम ओ पी एन जी ने अप्रैल 2010 में, सी एंड ए जी को 20 क्षेत्रों/ब्लॉकों की एफ. वाई. 2007-08 और 2008-09 के लिये लेखापरीक्षा का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के लिये सी एंड ए. जी. ने फरवरी 2012 में 8 ब्लॉकों की लेखापरीक्षा को स्वीकार किया और शेष 12 ब्लॉकों की लेखापरीक्षा चारटर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जानी थी।

चार ब्लॉकों जैसी पी.वाई.-1, पी.वाई. -3, खारसंग और सी. बी. ओ. एन.-7 की वर्ष 2007-09 की लेखापरीक्षा फरवरी से सितंबर 2011 के दौरान डी. जी. एच. और ऑपरेटर परिसरों में की गई। इन ब्लॉकों का वित्तीय विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। लेखापरीक्षा डी.जी.एच. एवं ऑपरेटर परिसरों में की गई तथा लघु/ कार्यप्रणाली प्रकृति की लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रबंधन पत्र के द्वारा सूचित कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 में हाईड्रोकार्बन पी.एस.सी. के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा एम.ओ.पी. एन.जी., डी.जी.एच. और उसके ब्लॉक के जी-डी डब्ल्यू एन 98/3, पन्ना-मुक्ता, ताप्ती और आर.जे.ओ.एन.- 90/1 के संबंध में शुरू की थी। इन ब्लॉकों के लिए, ऑपरेटर के परिसरों पर ही सी एंड ए जी ने वित्तीय एवं औचित्य लेखापरीक्षा अधिग्रहित की। जबकि आर.जे. ओ. एन.- 90/1 ब्लॉक के लिए ऑपरेटर परिसरों पर लेखापरीक्षा जुलाई 2012 में आरंभ हुई, के.जी.डी.डब्ल्यू.एन.- 98/3 ब्लॉक में और पन्ना मुक्ता, ताप्ती ब्लॉकों की लेखापरीक्षा केवल जनवरी 2013 में ही शुरू हुई।

एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. के निष्पादन लेखापरीक्षा से निकाली गई टिप्पणियों के साथ साथ ऑपरेटरों की औचित्य एवं वित्तीय लेखापरीक्षा के परिणाम ब्लॉक-वार रूप से इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गये हैं।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

(क) एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि :

- 1) एम.ओ.पी.एन.जी./ डी.जी.एच. के तंत्र/ कार्यप्रणाली पी.एस.सी. के अनुपालन सुनिश्चित करने और अनुवीक्षण के लिये पर्याप्त और प्रभावी है और

⁵ संचालक के रिकार्ड मिलने में कठिनाई के कारण लेखापरीक्षा के प्रयास बाधित हुए। समस्या पी एम टी क्षेत्रों के लेखापरीक्षा के दौरान जुलाई 2008 में पैदा हुई। संचालक के रिकार्ड तक पहुंच में तेजी लाने के लिए अंततः सी ए जी ने अगस्त 2009 में तत्कालीन पी एन जी मंत्री के साथ मामला उठाया। मामला हल होने के बाद संचालक की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जनवरी व मई 2010 के बीच शुरू की गई। अधिक जानकारी के लिए वर्ष 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या-19 के पैरा 3.5 को संज्ञान में लें।

हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध का प्रतिवेदन

- 2) जी.ओ.आई. का राजस्व अधिकार (जिसमें रायल्टी और जी.ओ.आई. का पी पी हिस्सा भी शामिल है) उपयुक्त रूप से सुरक्षित किया गया और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और प्रभावी तंत्र विद्यमान है।
- (ख) ऑपरेटर के लेखों और दस्तावेजों की लेखापरीक्षा की गई ;
- 1) यह जांच करना कि पी.पी. के रूप में (वर्तमान और भविष्य का) जी.ओ.आई. का राजस्व और रायल्टी की सही रूप से गणना की गई है और उसके राजस्व हित पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया; तथा
 - 2) यह सुनिश्चित करना कि किये गये खर्चों को पी.एस.सी. के अनुबन्धों के अनुरूप, सही और विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं और उन राशियों को उपयुक्त दस्तावेजों से पुष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में खर्चों के औचित्य की जांच के साथ साथ पी.एस.सी. धाराओं की भी जांच शामिल थी जिसमें यह सुनिश्चित करना था कि ऑपरेटरों की प्राप्तियों की अनुबंध प्रक्रिया पी.एस.सी. और मानक श्रेष्ठ प्रक्रियाओं में दिये गये प्राप्ति प्रक्रिया के साहित्य एवं तात्पर्य के अनुरूप है। चयनित नमूनों के अंतर्गत लेखापरीक्षा में यह जांच भी करनी चाहिए, कि प्रत्येक मद के आंकड़े उचित, मूल संशोधित बजट के अनुरूप, योजनाओं, व्यवहार्यता रिपोर्ट या अन्य मिलते जुलते दस्तावेजों के अनुरूप थे। समानान्तर प्रमाणक जोकि सामान की खरीद और प्रदान की गई सेवा की वास्तविकता को सुनिश्चित कर सके, की भी मांग की गई।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. की निष्पादन लेखापरीक्षा उनके दस्तावेजों के संदर्भ में 2008 से 2012 की अवधि के लिये की गई। प्रविष्टि सम्मेलन एम.ओ.पी.एन.जी. और डी. जी. एच. के साथ 11 मई 2012 को किया गया जोकि हाइड्रोकार्बन पी. एस. सी. (के. जी. डी. डब्ल्यू. एन. 98/3, पन्ना मुक्ता और ताप्ती, आर. जे. ओ. एन.- 90/1) की लेखापरीक्षा के संदर्भ में हुआ। जी.ओ.आई. और नियामक की अनुवीक्षण प्रक्रिया और नियंत्रण की जांच हेतु एम.ओ.पी.एन.जी./डी. जी. एच. द्वारा तैयार रिकार्ड के साथ साथ डी. जी. एच. को उपलब्ध कराए गए कॉन्ट्रैक्टरों के रिकार्डों की भी संवीक्षा की गई।

ऑपरेटर के रिकार्डों की लेखापरीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 2 : ऑपरेटरों के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा का विवरण

ब्लाक	लेखापरीक्षा अवधि ⁶	लेखापरीक्षा का कार्यक्रम	प्रविष्टि सम्मेलन की तिथि
के जी –डी डब्ल्यू एन 98/3	2008–09 से 2011–12	जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	9 जनवरी 2013
पन्ना–मुक्ता और ताप्ती	2008–09 से 2011–12	जनवरी 2013 से नवंबर 2013	2 जनवरी 2013
आर.जे–ओ.एन.–90/1	2008–09 से 2011–12	जुलाई 2012 से नवम्बर 2012	9 जुलाई 2012

⁶ एम ओ पी एन जी के 17 मई 2012 के निवेदन पर ब्लाक के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3, पन्ना मुक्ता, ताप्ती व आर जे-ओ एन-90/1 का आलिट स्कोप बढ़ाया गया था। पी वाई-1, पी आई-3 खारसंग व सी बी-ओ एन 7 ब्लाकों का लेखापरीक्षा क्योंकि पूर्ण हो चुका था अतः इन ब्लाकों का स्कोप नहीं बढ़ाया गया था।

पी वाई 1	2007–2008 और 2008–09	फरवरी 2011 से सितम्बर 2011	27 जनवरी 2011
पी वाई 3	2007–2008 और 2008–09	फरवरी 2011 से सितम्बर 2011	27 जनवरी 2011
खारसंग	2007–2008 और 2008–09	फरवरी 2011 से सितम्बर 2011	27 जनवरी 2011
सी बी –ओ.एन.– 7	2007–2008 और 2008–09	फरवरी 2011 से सितम्बर 2011	27 जनवरी 2011

ऑपरेटर के परिसर में की गई लेखापरीक्षा में जिन दस्तावेजों की समीक्षा की गई, वे कार्य के कार्यक्रम और बजट (डब्ल्यू पी एंड बी) संबंधित दस्तावेज, समयबद्ध सूचनायें/रिपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डी जी एच को प्रस्तुत की गई, ऑपरेटर बोर्ड/एम. सी. के प्रस्ताव, लेखों से संबंधित रिकार्ड और परियोजना और अनुबन्ध के दस्तावेज परियोजना के निष्पादन और सामान/सेवाओं की प्राप्ति से संबंधित थे। नमूने की जाँच परख के आधार पर, लेखापरीक्षा ने कोनट्रैक्टरों द्वारा दावा की गई लागत वसूली, राजस्व की गणना, सामान, उपकरणों और सेवाओं की खरीद और उपयोग की प्रक्रिया की जाँच की।

सूचनायें और दस्तावेज प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा मांग पत्र जारी किये गये थे, जबकि एम. ओ. पी. एन. जी./डी. जी. एच./कोनट्रैक्टरों/ऑपरेटरों के उन विषयों पर विचार प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियां जारी की गई जहां लेखापरीक्षा का अनुपालन न किये जाने से संबंधित आपत्तियों का बोध हुआ। लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर एम. ओ. पी. एन. जी./डी. जी. एच. के अलावा ऑपरेटरों के साथ भी विचार विमर्श उनके दस्तावेजों की जाँच के दौरान किया गया। मूल लेखापरीक्षा विषयों, जिनपर स्पष्टीकरण मांगा गया पर विचार करने के लिए ब्लॉकों के ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक बैठकें हुई थीं।

1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

निम्न स्त्रोतों के आधार पर लेखापरीक्षा का मापदंड तय किया गया :

- क) प्रासांगिक उत्पादन सहभागिता अनुबंध
- ख) संयुक्त परिसंचालन अनुबंध
- ग) तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) अधिनियम 1948
- घ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959
- ङ) नेत्य और एम ओ पी एन जी के सहायक निर्देश
- च) एम.ओ.पी.एन.जी./डी.जी.एच. द्वारा जारी दिष्णानिर्देश /अधिसूचनाएँ जोकि पैट्रोलियम संचालन हेतु समय समय पर जारी की गई।
- छ) पैट्रोलियम संचालन के संबंध में जी.ओ.आई. द्वारा समय समय पर तैयार की गई नीतियां और
- ज) समान्यतः मान्य लेखा कार्यविधियां/लेखा मानक

1.6 ऑपरेटरों के दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ

ऑपरेटर के के.जी.डी.डब्ल्यू.एन.— 98/3 और पन्ना मुक्ता और ताप्ती (पी एम टी) ब्लॉकों के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा उनके परिसरों में मई 2012 से प्रारम्भ की गई थी। ऑपरेटरों के कार्यक्षेत्र एवं अधिदेश के संबंध में मतभेद की वजह से उनके दस्तावेजों को प्राप्त करने में हुई कठिनाई के कारण लेखापरीक्षा का प्रयास बाधित हुआ। ब्लॉक वार स्थिति का सार नीचे दिया गया है:

1.6.1 के. जी. डी. डब्ल्यू. एन.— 98/3 ब्लॉक

के.जी.डी.डब्ल्यू. एन.— 98/3 ब्लॉक (आर आई एल) ने इस संबंध में आपत्तियाँ जताई (क) सी एण्ड ए. जी. के डी.पी.सी. एकट 1971 के साथ परिशिष्ट सी के खण्ड 1.9, पी. एस. सी. के अनुसार उनके दस्तावेजों की लेखापरीक्षा करने का सी ए जी का अधिदेश, (ख) क्या लेखापरीक्षा निष्पादन, वित्तीय या औचित्य पर आधारित लेखापरीक्षा होगी एवं (ग) लेखापरीक्षा का क्षेत्र।

परिशिष्ट –2 में सी ए. जी., एम. ओ. पी. एन. जी. और ऑपरेटरों के मध्य किये गये पत्राचारों की श्रंखला जोकि इन मुद्दों के समाधान हेतु किया गया दर्शायी गयी है।

जनवरी 2013 में लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए ऑपरेटर के साथ एक प्रारंभीक बैठक की गई। लेकिन, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र व अधिदेश व अधिकार से संबंधित मामलों पर मतभेद के कारण लेखापरीक्षा बाधित हो गई। ये आपत्तियाँ, एम. ओ. पी. एन. जी. और ऑपरेटर (और एम. ओ. पी. एन. जी. द्वारा ऑपरेटर को निर्देश देने के बाद भी) के साथ विचारविमर्श और पत्राचार, के बावजूद भी समाप्त नहीं हुई, तो सी ए जी द्वारा फरवरी 2013 में यह मुददा तत्कालीन पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के पास उठाना पड़ा। ये आपत्तियाँ अन्ततः अप्रैल 2013 में हल हुई। जब एम. ओ. पी. एन. जी. ने आर. आई. एल. को निर्देश जारी किये (2 अप्रैल 2013) कि “वर्तमान लेखापरीक्षा सी एण्ड ए. जी. द्वारा खंड 20 (1) सी. ए. जी. के डी. पी. सी. एकट के तहत की जा रही है जिसका कार्यक्षेत्र, सीमा और कार्यविधि पी एस सी के अनुच्छेद-25 व परिशिष्ट (सी) में निर्दिष्ट है और यह लेखापरीक्षा व्यय के औचित्य के साथ साथ पी.एस.सी. धाराओं की जांच, दस्तावेजों की पूर्ण प्राप्ति के साथ की जायेगी।”

अतंतः, एम. ओ. पी. एन. जी. द्वारा, 2 अप्रैल 2013 को जारी निर्णय की सूचना के आधार पर अप्रैल 2013 में लेखापरीक्षा उपरोक्तनुसार शुरू की गई।

लेखापरीक्षा मांग पत्र और ज्ञापनों (टिप्पणियों) के संबंध में ऑपरेटर ने अपने विचार, स्पष्टीकरण और चर्चा के द्वारा व्याख्या प्रस्तुतिकरण⁷ और लिखित अनुक्रिया दी जिसको ध्यान में रखा गया। अपने विचार पूरा करते समय लेखापरीक्षा ने ऑपरेटर के कथन का विचार किया कि के जी-डी 6 पहला एवं एक मात्र गहरे पानी का उत्पादन स्त्रोत है एवं विश्व के सबसे जटिल भंडारों में से हैं उपरोक्त परिस्थितियों में गयी अनुपूरक सूचना एवं अतिरिक्त व्याख्याओं को भी उचित रूप से विचारित कर लिया गया है।

⁷ संचालक ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान व उसके बाद विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रस्तुतीकरण दिये। 17 अप्रैल 2013 को उत्पादन डाटा प्रबंधन प्रणाली (पी डी एम एस निदेशक को पी डी एम एस प्रस्तुतीकरण 18 मई 2013 निदेशक को मैट्रेयिल मैनेजमेंट प्रस्तुतीकरण 3 जून 2013 को, प्रधान निदेशक (ई एस एम) को 28 अक्टूबर 2013 को के जी-डी डब्ल्यू.एन 98/3 ब्लॉक के विहारावलोकन, उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) को 16 जनवरी 2014 को (क) नेत्य पी.एस. सी. और धारायें (ख) नेत्य व के जी. -डी.- 6 के रिलाईस इडस्ट्रीज लिमिडेट का निवेष अंतर्गत (ग) डी. 1 डी. 3: मिथक व धारणाएँ (घ) वर्तमान सी. ए. जी. आडिट के उचित मुद्दे, उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) को 11 अप्रैल 2014 को पावर पाईट प्रस्तुतीकरण, मुख्य आडिट मेमो व अन्य मुद्दों पर जवाब।

ऑपरेटर को 15 जनवरी 2014 तक लेखापरीक्षा मांग पत्रों/ज्ञापनों के उत्तर देना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने ऑपरेटरों के अनुरोध पर इसे 31 जनवरी 2014 तक बढ़ाया। बाद में ऑपरेटर ने 15 फरवरी 2014 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। वास्तव में, लेखापरीक्षा ऑपरेटरों से उत्तर 15 अप्रैल 2014 तक प्राप्त होते रहे। ऑपरेटरों के उत्तर लेखापरीक्षा मांग पत्रों/ज्ञापनों की अनुक्रिया पर पूर्ण विचार किया गया और संबंधित अंशों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.2 पन्ना मुक्ता और ताप्ती (पी. एम. टी.)

लेखापरीक्षा के समय दस्तावेज प्रस्तुत करने की गति काफी धीमी रही। इसके अतिरिक्त पी.एम.टी. जे. वी. द्वारा मूल दस्तावेजों के स्थान पर, स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराई गई, जिससे दस्तावेज प्रस्तुति में और भी देरी हुई। इसके अलावा एस. ए. पी. ने अपने अभिलेख केवल जुलाई – अगस्त 2013 में दिये।

कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों⁸ के उत्तर देते समय पी. एम. टी. सयुंक्त उपक्रम (जे. वी.) ने कहा कि यह विषय, संचालन निष्पादन के संबंध में है, अतः पन्ना मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों की यह वर्तमान लेखापरीक्षा जोकि पी. एस. सी. के खंड 1.9 परिष्ठि सी, के तहत की गई है, के कार्यक्षेत्र से बाहर है। जबकि यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि खंड 1.9.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि जी.ओ.आई. को सभी दस्तावेजों और रिकार्ड जोकि खर्च लागत, देयराशि, प्राप्ति और प्राप्य राशि से संबंधित है, की जांच का अधिकार है और इन रिकार्डों को प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये।

1.7 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर एवं समापन सम्मेलन

ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डी ए आर), एम ओ पी एन जी को 30 अप्रैल 2014 को इस अनुरोध के साथ जारी की गई कि इसका उत्तर 12 जून 2014 तक दे दिया जाए। लेखापरीक्षा को इसका उत्तर 1 जुलाई 2014 को प्राप्त हुआ। एम ओ पी एन जी के उत्तर को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया और संबंधित अंशों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

एम ओ पी एन जी द्वारा जारी डी ए आर में एम ओ पी एन जी/डी जी एच की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ऑपरेटर के परिसरों में वित्तीय और औचित्य लेखापरीक्षा जोकि पी.एस.सी. के खंड 1.9 के तहत की गई के निष्कर्षों को शामिल किया गया है। तदानुसार डी ए आर में प्रत्येक ब्लॉक के लिये संबंधित अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा और ऑपरेटरों की वित्तीय एवं औचित्य लेखापरीक्षा से संबंधित विषयों को अलग से दर्शाया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित विषय एम ओ पी एन जी/डी जी एच के दस्तावेजों की जांच में पाये गये जबकि वित्तीय एवं औचित्य लेखापरीक्षा विषय (जो मुख्यतः व्यय/लेखाकरण एवं प्राप्तियों से संबंधित थे) को ऑपरेटरों के दस्तावेजों की जांच से प्राप्त किया गया। जबकि ऑपरेटरों से अनुक्रिया प्राप्त करने हेतु डी जी एच ने पूर्ण डी ए आर ऑपरेटर को जारी कर दी। ब्लॉकों के ऑपरेटरों के उत्तर एम ओ पी एन जी को जून/जुलाई 2014 में भेजे गये थे।

के जी –डी डब्ल्यू एन–98/3 के ऑपरेटर ने यह कहते हुए उन्हें उत्तर दिया ‘प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.1.5 से यह स्पष्ट होता है कि पैराग्राफ 2.4, 2.5, 2.6 और 2.10 सी ए जी की निष्पादन लेखापरीक्षा

⁸ पैरा संख्या 3.6.4.1, 3.6.1.5, 3.6.2.1, 3.6.2.2 और 3.6.4.2.

हाईकोर्ट उत्पादन सहभागिता अनुबंध का प्रतिवेदन

जोकि एम ओ पी एम जी/डी जी एच से संबंधित है, न कि पी एस सी के लेखाकरण प्रक्रिया के खंड 1.9 के तहत की गई ऑपरेटर की तथा कथित लेखापरीक्षा से संबंधित। कन्ट्रैक्टर ने अनुरोध किया कि सी ए जी इन दोनों विभिन्न लेखापरीक्षाओं के मध्य अंतर करें..... जबकि डी जी एच ने प्रतिवेदन पर कन्ट्रैक्टर की अनुक्रिया (जोकि पैराग्राफ 2.4, 2.5, 2.6 और 2.10 सहित है) का अनुरोध किया और इन पैराग्राफ पर हमारे उत्तर ऊपर दिये गये हैं।"

आपसी सहमति के आधार पर तय किया गया लेखापरीक्षा का क्षेत्र, निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय एम ओ पी एन जी/डी जी एच के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा तक सीमित था और वे ऑपरेटरों तक विस्तृत नहीं था। जबकि के जी डी डब्ल्यू एन-98/3 के ऑपरेटरों ने उन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर देना भी उचित समझा जोकि एम ओ पी एन जी/डी जी एच से संबंधित थे, उनको सावधानी पूर्वक ध्यान में रखने के पश्चात्, इस प्रतिवेदन में उनके विचारों को भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त एम ओ पी एन जी ने ऑपरेटरों के उत्तर भेजते समय, इनकी पुष्टि नहीं की।

जबकि, ऑपरेटर के परिसरों की वित्तीय और औचित्य लेखापरीक्षा से प्राप्त विषयों से संबंधित उत्तरों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया और संसंधित अंशों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

सी ए जी के मानक पद्धति के अनुसार, समापन सम्मेलन 11 जुलाई 2014 को किया गया ताकि लेखा परीक्षित इकाई को अपने विचार प्रस्तुत करने का और निष्कर्षों पर बहस करने का अंतिम अवसर मिल सके। लेखापरीक्षा की प्रकृति के कारण, समापन सम्मेलन को चार सत्रों में आयोजित किया गया था, सत्र-1 एम ओ पी एन जी और डी जी एच, के साथ सत्र-2 आर जे ओ एन -90/1 ब्लॉक के ऑपरेटर के प्रतिनिधियों के साथ, सत्र-3 के जी डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लॉक के ऑपरेटर के साथ और सत्र-4 पी एम टी ब्लॉक के ऑपरेटर के साथ किया गया। सत्र-3 उस दिन आयोजित नहीं हुआ क्योंकि के जी डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लॉक के ऑपरेटर ने 11 जुलाई 2014 को इसमें शामिल होने में असमर्थता जताई और दूसरी बैठक का अनुरोध किया जोकि 21 जुलाई 2014 में आयोजित की गई। समापन सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों को प्रतिवेदन में अंतिम रूप देते समय पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया।